अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अपील संख्या–49/2021 अब्दूर रहमान व अन्य बनाम बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
	1. उपस्थितिः अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता..सुशील कुमार झा प्रतिवादी सं0–5 के विद्वान अधिवक्ता.................सतीश चन्द्र मिश्र व नदीमूल हसन प्रतिवादी सं0–6 के विद्वान अधिवक्ता...मो0 रहमतुल्लाह मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता......शहजाद हसन खान व असलम अंसारी **2. वाद का संक्षिप्त तथ्य कथनः** 1. अब्दूर रहमान, पिता–अब्दूर रज्जाक 2. अबू तालीब, पिता–साम मोहम्मद 3. मो0 अशफाक अहमद, पिता–मो0 हबीबूर रहमान 4. मो0 अमीर हुसैन, पिता–अब्दुल खालीक; चारों का पता, ग्राम–सिकोरना, पो0–झव्वा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार एवं 5. मो0 रूस्तम अली, पिता–सिकन्दर अली, ग्राम–कुरसेल, पो0–झव्वा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के आदेश ज्ञापांक 589 दिनांक 28.01.2021 के विरूद्ध यह अपील दाखिल किया है। **3. अपीलार्थियों का पक्षः** **(क)** अपीलार्थियों का कथन है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के उपरोक्त प्रश्नगत आदेश द्वारा मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने मनमाने एवं गैर–कानूनी ढ़ंग से दिनांक 21.08.2020 के प्रस्ताव की उचित जाँच किए बिना अपीलार्थियों की नियुक्ति को अवैध घोषित किया, जिसके तहत अपीलार्थियों की सेवा समाप्त कर दी गई। **(ख)** अपीलार्थियों का कथन है कि अपीलार्थी सं0–1 से 5 को संबंधित मदरसा में उनके संबंधित पदों पर प्रतिवादी सं0–5 द्वारा विधिवत विज्ञापन, चयन प्रक्रिया एवं बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की उपस्थिति में चयनित किया गया था तथा प्रतिवादी सं0–5 द्वारा उक्त मदरसा में नियुक्त किया गया था। **(ग)** अपीलार्थियों का कथन है कि अपीलार्थियों की उक्त नियुक्तियों को मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण अभिलेखों की जाँच पड़ताल के पश्चात् विधिवत अनुमोदन प्रदान किया गया, जो दिनांक 02.05.2013 एवं 05.05.2015 के विभिन्न पत्रों द्वारा निर्गत हुआ। तत्पश्चात् निवर्तमान प्रबंध समिति द्वारा उक्त अनुमोदन आदेशों को चुनौती दी गई किन्तु विभिन्न आदेशों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने प्रतिवादी सं0–6 के पक्ष में पारित आदेशों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया तथा इस प्रकार उक्त आदेश प्रभावी एवं क्रियाशील बना रहा। **(घ)** अपीलार्थियों का कथन है कि दिनांक 28.01.2020 को पारित विवादित आदेश बिना किसी नोटिस, कारण बताओ अथवा सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया। अंकनीय है कि अपीलार्थियों को न तो पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया और न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया,	

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
	जिससे प्रश्नगत आदेश प्रथमदृष्ट्या मनमाना, अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहिन है। (ङ) अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.12.2025 को इस अपील को वापस लेने हेतु अपीलीय प्राधिकार के कार्यालय में एक याचिका (Withdrawal Petition) दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इस अपील में लंबित रहने के दौरान संबंधित मदरसा में एक नई प्रबंध समिति का गठन हुआ है, जिसे बोर्ड के पत्रांक 665, दिनांक 30.07.2025 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त प्रबंध समिति द्वारा इस मामले को पुनः जाँच करते हुए एक त्रि–सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसने गहन जाँच का प्रतिवेदन प्रबंध समिति को हस्तगत कराया था एवं तत्पश्चात् प्रबंध समिति ने अपने पूर्व के प्रश्नगत प्रस्ताव को वापस लेते हुए अपीलार्थियों का मदरसा में वापस से योगदान लिया। फलतः बोर्ड ने पत्रांक 1280, दिनांक 01.12.2025 में निहित आदेश द्वारा पूर्व के प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 589 दिनांक 28.01.2021 को वापस कर, उक्त अपीलार्थियों को मदरसा में कार्य जारी रखने की अनुमति दी है, जिससे यह अपील Infructuous हो गया है। अपीलार्थियों के शिकायतों का निवारण हो चुका है एवं दिनांक 22.01.2026 की सुनवाई में अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा इस अपील को वापस लेने का अनुरोध किया गया। **4. प्रतिवादी सं0–6 का पक्षः** **(क)** प्रतिवादी सं0–6 का कथन है कि अपीलार्थीगण उक्त मदरसा के शिक्षक है, जिन्हें प्रबंध समिति एवं मदरसा के प्रधान मौलवी के साथ बदसलूकी की वजह से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। **(ख)** प्रतिवादी सं0–6 का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील अनेक गलत एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित है। यह अपील पोषणीय नहीं है। इस अपील में कोई मेधा नही है एवं यह खारिज होने योग्य है। **5. बोर्ड का पक्षः** दिनांक 22.01.2026 की सुनवाई में बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अपील को वापस लेने के अनुरोध का समर्थन किया। **6. विवेचनाः** **(क)** अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य, नियम एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया एवं उपस्थित अधिवक्ताओं को सुना गया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यह अपील बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के आदेश ज्ञापांक 589 दिनांक 28.01.2021 के विरूद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने मनमाने एवं गैर–कानूनी ढ़ंग से दिनांक 21.08.2020 के प्रस्ताव की उचित जाँच किए बिना अपीलार्थियों की नियुक्ति को अवैध घोषित	

Vijay

अपील संख्या–49/2021 अब्दूर रहमान व अन्य बनाम बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।		
दिनांक	**आदेश**	अभ्युक्ति
	किया, जिसके तहत अपीलार्थियों की सेवा समाप्त कर दी गई। **(ख)** अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.12.2025 को इस अपील को वापस लेने हेतु अपीलीय प्राधिकार के कार्यालय में एक याचिका (Withdrawal Petition) दायर की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने इस अपील को वापस लेने का अनुरोध किया है। 7. **निष्कर्ष:** उपरोक्त के आलोक में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रसंगाधीन अपील को वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है एवं इस अपील की सुनवाई समाप्त की जाती है। ह0/– (विजय कुमार) अपर सचिव–सह– अपीलीय प्राधिकार शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	

ज्ञापांक........09.............. दिनांक.....30/01/2026

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, 05, विद्यापति मार्ग, पटना/अब्दूर रहमान, पिता–अब्दूर रज्जाक, ग्राम–सिकोरना, पो0–झव्वा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार/अबू तालीब, पिता–साम मोहम्मद, ग्राम–सिकोरना, पो0–झव्वा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार/मो0 अशफाक अहमद, पिता–मो0 हबीबूर रहमान, ग्राम–सिकोरना, पो0–झव्वा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार/मो0 अमीर हुसैन, पिता–अब्दुल खालीक, ग्राम–सिकोरना, पो0–झव्वा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार/मो0 रूस्तम अली, पिता–सिकन्दर अली, ग्राम–कुरसेल, पो0–झव्वा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार/डॉ0 ए0 अली, पूर्व सचिव, प्रबंध समिति, मदरसा दारूल होदा सिकोरना, पो0–झव्वा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार/जमील अख्तर, सचिव, प्रबंध समिति, मदरसा दारूल होदा सिकोरना, पो0–झव्वा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार/जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 30/1/26

(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।